पंचायती राज में अनुसूचित महिला का नेतृत्व एवं राजनीतिक सहभागिता

डॉ० जयश्री सिंह
एम० ए०, पीएच० डी०,
राजनीति विज्ञान विभाग,
बी० आर० ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

सारांश : भारत में अनुसूचित तथा जनजातियाँ प्रायः शहर ग्राम तथा एकाकी क्षेत्रों में निवास करती है स्वतंत्रता प्राप्ति के 5 वर्ष के बाद भी ये लोग संचार माध्यमों तथा सूचनाओं की कमी के कारण अलगाव तथा अत्याचार भरी जिन्दगी जी रहे हैं। महिलाओं की राजनैतिक स्थिति में सुधार हेतु पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से महिलाओं को 33 प्रतिशत तक आरक्षण दिया गया है। मध्यप्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड में ये आरक्षण 50 प्रतिशत है। यद्यपि देश की संसद एवं विधानसभाओं में 33 प्रतिशत का विधायक राज्यसभा में स्वीकार हो चुका है। जिससे महिलाओं की राजनैतिक स्थिति सुदृढ़ हुई है इसके अतिरिक्त महिलाओं की स्थिति में गतिशीलता लाने वाले कारकों में महिलाओं को दिये गये कानूनी अधिकार शिक्षा की स्वतंत्रता, महिला कल्याण कार्यक्रमों के अतिरिक्त औद्योगिकीकरण, संचार साधनों की भूमिका एवं वैश्वीकरण मुख्यतः रहे हैं, जिनके फलस्वरूप महिलाओं की शैक्षणिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक स्थिति मजबूत हुई है।

प्रस्तावना :

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में 73वाँ संशोधन अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ है। विकेन्द्रीकरण की इस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों को नेतृत्व में हिस्सेदारी प्राप्त हुई है। प्रस्तुत अध्ययन ग्राम पंचायत स्तर पर निर्वाचित होकर आए अनुसूचित जाति महिला वर्ग के नेतृत्व के सूक्ष्म अध्ययन पर आधारित है। प्रस्तुत अध्ययन में विकेन्द्रीकरण को स्पष्ट करते हुए अनुसूचित जाति वर्ग की सामाजिक प्रस्थिति को उल्लेखित किया गया है। इसी क्रम में पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी के ऐतिहासिक परिदृश्य को प्रस्तुत किया गया है।

भारतीय लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था का मूल आधार पंचायत राज व्यवस्था रही है। सभ्य समाज की स्थापना के बाद से ही मनुष्य ने जब समूहों में रहना सीखा पंचायती राज के आदर्श एवं मूल सिद्धांत उसकी चेतना में विकसित होते आए हैं। इस व्यवस्था को विभिन्न कालों में अलग–अलग नामों से पुकारा जाता रहा कभी वे गणराज्य कहलाए, कभी नगर शासन व्यवस्था और कभी किसी अन्य नाम से उनकी पहचान हुई, लेकिन उन सारी व्यवस्थाओं में एक दूसरे के साथ रहने मिलजुल कर काम करने और अपनी तात्कालिक समस्याओं को अपने आप सुलझाने की प्रवृत्ति निरंतर विकसित होती रही। सहकारिता और आत्म निर्भरता या स्वावलंबन इन व्यवस्थाओं का मूल मंत्र रहा है।

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट है कि महात्मा गाँधी ने स्वतंत्र भारत में एक मजबूत पंचायतीराज शासन पद्धति का स्वप्न संजोया था जिसमें शासन कार्य की सबसे प्रथम ईकाई पंचायतें होगी। उनकी कल्पना पंचायतों की शासन व्यवस्था की धूरी होने के साथ ही आत्मनिर्भर पूर्णतया स्वायत्त और स्वावलंबी होने की थी। स्वतंत्रता के पश्चात् महात्मा गाँधी की इस परिकल्पना को साकार करने हेतु समय–समय पर प्रयास किये गए। कभी ग्रामीण विकास के ना मपर और कभी सामुदायिक विकास योजनाओं के माध्यम से पंचायतों को लोकतंत्र का मूल आधार मजबूत बनाने के लिए उपयोग किया जाता रहा। अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग तरह के प्रयोग इसके लिए चले। कुछ असफल रहे तो कुछ सफल

रहे और अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बने लेकिन पूरे देश में प्रशासन का विकेन्द्रीकरण करके बुनियादी स्तर पर पंचायतीराज की स्थापना और जनका के हाथ में, सीधे अधिकार देने की शुरूआत संविधान के 73वें संविधान अधिनियम के माध्यम से संभव हुई।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत में पंचायतीराज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

पंचायती राज में अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व का उद्देश्य :–

1. अनुसूचिज जाति वर्ग के महिला नेतृत्व की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना जिसमें मुख्यतः उम्र, परिवार का आकार, शिक्षा, परिवार का आर्थिक स्तर, व्यवसाय, वैवाहिक स्थिति, धर्म आदि से संबंधित जानकारी सम्मिलित है।
2. पंचायत राज व्यवस्था के क्रियान्वयन के संदर्भ में महिला नेतृत्व के दृष्टिकोण का पता लगाना तथा नवीन पंचायत राज व्यवस्था के बारे में जानकारी, पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया, आरक्षण की व्यवस्था, पंचायत प्रतिनिधि के अधिकार एवं कर्त्तव्य, पंचायत प्रतिनिधियों का ग्रामीण विकास के संदर्भ में सोच, सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास की दिशा में प्रतिनिधियों की सजगता का स्तर पंचायतीराज की कार्य प्रणाली की जानकारी, कार्य करने में आने वाली बाधाएँ इत्यादि।
3. अनुसूचित जाति महिला वर्ग की राजनीतिक सजगता एवं अभिरूचि का मूल्यांकन करना तथा दलीय संबधता राजनीतिक पृष्ठभूमि, स्थानीय समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण समाज के पिछड़े एवं दलित वर्गो के उत्थान हेतु कार्य योजना प्रशासन से संबंध, राजनीतिक महत्वकांक्षा, अनुसूचित जाति महिला वर्ग के नेतृत्व की इच्छा शक्ति आदि।

एस. एस. ढिल्लन (1955) ने दक्षिण भारतीय ग्रामों में नेतृत्व एवं वर्ग संबंधी अध्ययन किया। अपने अध्ययन के आधार पर उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय ग्रामीण नेतृत्व के स्वरूप में मुख्य तीन रूप से तीन तत्व प्रभावी होते हैं – प्रथम परिवार का उच्च सामाजिक स्तर, द्वितीय परिवार का आर्थिक स्तर, तृतीय व्यक्तिगत व्यक्तित्व के लक्षण।

उत्तर भारत के ग्रामीण जीवन से संबंधित अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि भारत में ग्रामीण नेतृत्व का निर्धारण धन पारिवारिक प्रतिष्ठा, आयु, व्यक्तित्व के लक्षण, शिक्षा, बाह्य नेतृत्व से मेलजोल एवं प्रभाव, पारिवारिक प्रभावशीलता एवं वंश आदि तत्वों पर निर्भर करता है।

पंचायत संस्थाओं के प्रमुख नेताओं एवं स्थानीय नेतृत्व संबंधी अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि पंचायत संस्थाओं के प्रमुख नेताओं एवं उच्च स्तर के नेतृत्व के बीच नए प्रकार के राजनीतिक संबंध विकसित हुए है, जिसके तहत पंचायती स्तर को नेतृत्व उच्च स्तर के नेतृत्व के लिए वोट बैंक के रूप में उपयोगी सिद्ध हुआ है, एवं इस प्रकार से सौदेबाजी की एक नई राजनीति का प्रचलन हुआ है।

73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में नवीन पंचायतीराज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। इस व्यवस्था के अनुरुप ही मध्यप्रदेश में पंचायत राज का विधान बना तथा पंचायतीराज संस्थाओं का गठन हुआ। इस व्यवस्था में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की स्वायत्त इकाईयाँ बनाने के उद्देश्य से इन संस्थाओं को अधिकार, शक्तियों एवं कर्त्तव्य प्राप्त हुए। निर्देशन में 94 अनुसूचित जाति महिला सरपंचों को सम्मिलित किया गया। महिला सरपंचों से जानकारी एक साक्षात्कार–अनुसूची के माध्यम से एकत्रित की गई।

अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व की सामाजिक–आर्थिक स्थिति अनुसूचित जाति की वास्तविक स्थिति का ही प्रतिनिधित्व करती है। अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व पंचायतों में कम प्रतिस्पर्धा से आया है। उनकी ग्रामीण विकास एवं सामाजिक सुधार की बात उत्साहवर्धक मानी जा सकती है। अनुसूचित जाति के इन नेताओं, सरपंचों के उत्तरों को समग्र रूप से देखा जाये। ग्रामीण स्तर पर महिलाओं का एक ऐसा नेतृत्व उभर रहा है। अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व की पंचायतों में सजग एवं जागरूक नेतृत्व देने में सक्षम होगी।

पंचायती राज में महिला की भूमिका

भारत में पंच परमेश्वर तथा महिला स्वतंत्रता की परंपरा प्राचीनकाल से ही प्रचलन में थी। पंचपरमेश्वर के रूप में ईमानदार और निष्ठावान सदस्य निष्पक्ष होकर सच्चा और सस्ता न्याय देते थे तथा महिलाएँ स्वतंत्रता पूर्वक अपने को साक्षर, शिक्षित और सशक्त बनाकर सामाजिक व्यवस्था को संतुलित एवं सर्वहितकारी बनाने में निर्विध्न नहीं रह पाया। दुर्भाग्यवश सैकड़ों वर्षों की पराधीनता के काल में विदेशी शासक अपने निहित स्वार्थो की पूर्ति हेतु पंचायतीराज व्यवस्था तथा महिला स्वतंत्रता को जान–बुझकर समाप्त करने की चेष्टा करते रहे। महिलाओं को घरों की दीवारों के अंदर बंद रखने के लिए सतत प्रयास होते रहे, ताकि वे निरक्षण, अविकसित और शक्तिहीन बन जाएँ। ऐसी विकृत व्यवस्था स्थापित करने में एक सीमा तक सफल भी हुए। सौभाग्य से सन् 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो प ंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित और सक्रिय करने का प्रयास किया गया, फिर भी पुरूषों में सैकड़ों वर्षों की दासता वाली मानसिकता तथा महिलाओं में व्याप्त निरक्षरता और अवलापन की स्थिति के कारण पंचायती राज व्यवस्था सुप्रढ़ और सक्रिय नहीं हो सकी। परिणामतः पुनर्जीवित की गई उस व्यवस्था से जो अपेक्षित परिणाम मिलने चाहिए थे, वे प्राप्त नहीं हो सके। इस विफलता के लिए उत्तरदायी अनेक कारणों में से एक प्रमुख कारण यह भी था कि पुनर्जीवित की गई उस व्यवस्था से जो अपेक्षित परिणाम मिलने चाहिए थे, वे प्राप्त नहीं हो सके। इस विफलता के लिए उत्तरदायी अनेक कारणों में से एक प्रमुख कारण यह भी था कि उस पुनर्जीवित पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागित 4 शताब्दियों तक नगण्य सी रहती रही। उस स्थिति को सुधारने के लिए भारतीय संविधान में सन् 1992 में एक संशोधन अधिनियम (73वाँ और 74वाँ संशोधन) पारित किया गया, ताकि पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम से कम तिहाई अवश्य हो सके। संविधान के संशोधन से यह स्थिति तो बनी कि सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायतों में महिलाओं को एक तिहाई प्रतिनिधित्व मिल गया।

आधुनिक काल में अनुसूचित जाति समुदाय की सामाजिक स्थिति को परिवर्तित करने के लिए तथा शोषण, अन्याय और असमानता की व्यवस्था का अन्त करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से ही अनेक महत्वपूर्ण प्रयत्न किए गए हैं। ब्रिटिशकाल में पुलिस, कानून और न्याय की नवीन व्यवस्था स्वीकार करके परंपरागत जातिगत संस्तरण पर आधारित न्याय और सामाजिक आदान–प्रदान की व्यवस्था पर आघात किया। ब्रिटिश काल में ही अनेक सामाजिक और धार्मिक सुधार आन्दोलन, नवीन शिक्षा प्रणाली, पाश्चात्य के मूल्य, आदर्श और संस्थायें तथा नवीन सामाजिक विधानों ने भारतीय समाज में व्याप्त असमानता और शोषण के प्रति समाज के प्रबुद्ध वर्ग का ध्यान आकर्षित किया। स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में महात्मा गाँधी के नेतृत्व में हरिजन अछूतोद्धार और हरिजन कल्याण कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जाने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् इस कार्य को नवीन संवैधानिक राजनीतिक और आर्थिक बल प्रदान किया गया है।

वर्तमान पंचायतीराज सामाजिक समता, और न्याय और व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर आधारित ग्रामीण जीवन का नया रूप देने का एक सामूहिक प्रयास है। इसी क्रम में पंचायतीराज में महिलाओं के प्रमुख प्रयास रहे हैं।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज व्यवस्था

वैदिक काल में ये पंचायते बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। महाभारत काल के समय में पंचायतें अत्यंत महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाइयाँ थी। यहाँ तक कि राजा—महाराजा भी इन प्रथम इकाइयों, जो कि लोगों को स्थानीय प्रशासन और न्याय देती थी, के कार्य को बीच में बाधित करने से कतराते थे। श्री के. एम. पन्नीकर पंचायतों को प्राचीन भारत की बुनियाद मानते है। युद्ध के बारे में निर्णय लेने के साथ पंचायतें ग्रामों की सुरक्षा, कर लगाने का काम, स्थानीय झगड़ों का निपटारा, योजना का कार्यान्वयन और साधारण अधिकार की योजना का भी अधिकारिणी शक्ति रखती थी।

स्वतंत्रता के पश्चात् पंचायती राज व्यवस्था –

भारतीय संविधान के अनुच्छेद–40 में पंचायतों के लिए मुख्य प्रावधान रखे गए। इसमें कहा गया है कि राज्य पंचायतों का गठन कर सकता है और उन्हें वह अधिकार और शक्ति दे सकता है, जो उन्हें स्थानीय स्वायत्त सरकार की तरह कार्य करने की शक्ति प्रदान कर सकें।

देश की पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को समाज और जीवन के हर क्षेत्र में समानता के अवसर प्राप्त करने के योग्य बनाती है। वे ही पंचायतों से उनकी संबंधता पर असर डालती है। महिलाओं के बराबरी के दरजे की पहली बार भारतीय संविधान में मान्यता मिली।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी भारतीयों के लिए कानूनी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचार रखने की स्वतंत्रता, विश्वास और पूजा—पाठ, समान अधिकार और अवसर आपको आपसी भाई—चारे से आगे बढ़ाना, सभी की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखनकर देश की एकता को बनाये रखने जैसे सुझाव पारित हुए।

भारतीय महिलाआकें को भी पुरूषों की तरह सभी अधिकार प्राप्त थे। भारतीय संविधान के अनेक अनुच्छेदों में महिलाओं को अधिकार दिये गये। विभिन्न अनुच्छेद में महिलाओं को कानून की नजरों में सब समान है तथा भेदभाव को निषेध माना गया है।राज्य के किसी भी कार्यालय में सशक्तिकरण अथवा नियुक्ति संबंधी मामले में सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध हो। राज्य नीति के संबंध में संविधान में नीति निर्देशक तत्व बनाए गए हैं, जिनमें मौलिक अधिकार भी सम्मिलित है।

पंचायती राज में महिलाओं की स्थिति

भारतीय नारी सृष्टि के प्रारम्भ से ही अनंत गुणों को भण्डार रही है वह दया, करूणा, ममता और प्रेम की पवित्र मूर्ति है। किसी राष्ट्र की परंपरा और संस्कृति उस राष्ट्र की महिलाओं से ही परिलक्षित होती है। महिलाएँ समाज की रचनात्मक शक्ति होती है। आने वाले कल को सुधारने के लिए हमें आज की महिला की स्थिति में सुधार लाना होगा।

74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में 73वें संशोधन की तरह ही शहरी स्थानीय निकाय, नगर—निगम और घोषित क्षेत्र प्राधिकरण के लिए प्रावधान बनाए गए। यह देश की महिलाओं के

राजनैतिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। संवैधानिक संशोधन अधिनियम में राज्य विधान सभाओं और राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था अनिवार्य है। संविधान अधिनियम 81 वें संशोधन का निर्माण हुआ। जिसमें महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट संसद और राज्य विधान सभाओं में आरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया।

निष्कर्ष :

''पंचायती राज में अनुसूचित महिला का नेतृत्व एवं राजनीतिक सहभागिता'' शीर्षक के अंतर्गत यह कहना उचित होगा कि पंचायती राज भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। महिला सशक्तिकरण से हमारा तात्पर्य महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता को समाहित करते हुए सामाजिक सेवाओं में समान अवसर प्रदान करना, राजनैतिक और आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा देने का अधिकार आदि प्रदान करने से है। इसके साथ ही साथ ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में भी सुधार देखा गया है।

प्रस्तुत समीक्षा में देखने का यह प्रयास किया गया है कि तीव्रगति से परिवर्तित हो रही ग्रामीण राजनैतिक संरचना की वर्तमान स्थिति में पंचायतों का क्या स्थान है, इनकी असफलता के क्या कारण है तथा इनका संचालन कैसे सही ढंग से हो सकता है। इस ग्रामीण विकास प्रक्रिया में ब्लॉकों की क्या उपयोगिता रही है और ब्लॉकों की असफलता के संदर्भ में नेताओं के क्या दृष्टिकोण है। प्रस्तुत अध्याय में महिलाओं की ग्रामीण सहभागिता में जनसंख्या की दृष्टि से लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का है और वे उत्पादन तथा अर्थव्यवस्था की सामाजिक प्रक्रियाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। परिवार के साथ–साथ आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन में महिलाओं का योगदान एवं भूमिका मुख्य है।

सन्दर्भ सूची :

[1] एच. एस. ढिल्लन, लीडर शिप एण्ड ग्रप्त इन साउथ इण्डिया विलेजस, प्रोग्राम ईवेल्युएशन आर्गेनाइजेशन, प्लानिंग कमिशन, नई दिल्ली, 1995

[2] ऑस्कर लेविस, ग्रुप डायनामिक्स इन नार्थ इंडिया विलेजस, ए स्टडी ऑफ फ्रेक्शन, प्लानिंग कमीशन, नई दिल्ली, 1958

[3] अवतार सिंह, लीडर शिप पैटर्न एण्ड विलेज स्ट्रक्चर, स्टलिंग पब्लिशर्स नई दिल्ली, 1963

[4] बी. एस. भार्गव, पंचायत राज सिस्टम एण्ड पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1979

[5] डी. एस. चौधरी, इमर्जिंग रूरल लीडरशिप इन इण्डियन स्टेटस, मंथन पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1981

[6] कुरूक्षेत्र (1964) पंचायती राज और महिला विकास, पाइंटर पब्लिशर्स, जयपुर।

[7] शर्मा हरिश्चन्द्र (1968) भारत में स्थानीय प्रशासन, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर।

[8] प्रसाद ईश्वरी (1965) भारत का इतिहास, भाग–1, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद।

[9] त्रिपाठी आर. पी. (1956) राइज एण्ड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, सेन्ट्रल बुक डिपो, इलाहाबाद।